

मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाएं ही विराजमान होंगी सभी जगहों पर

भिलाईनगर/ आयुक्त के0एल0 चौहान के निर्देश पर भिलाई नगर निगम का उड़नदस्ता दल शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर यह जांच की कि प्रतिबंधित प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी गणेश की मुर्तियां तो नहीं बिक रही शहर में । जांच के दौरान जो मुर्ति विक्रेता सड़क पर गंदगी फैलाये थे कुनाल, संजय गुप्ता, राजू सोनकर, आदि से 600 रुपये अर्थदण्ड लेकर रसीद देते हुए चेतावनी दी गई कि कोई भी सड़क पर गंदगी नहीं फैलायेगा, कुछ फल्ली बेचने वाले जो सड़क पर गंदगी फैलाये थे उनसे झाडु लगवाकर मौके पर सफाई करवाया गया। निगम द्वारा यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगा। कार्यवाही के दौरान जो फल एवं सब्जी वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक कैंरी बैग में समान बेचते पाये गये उनका पंचनामा बनाकर परिवाद पेश करने हेतु कार्यवाही की गई।

महापौर देवेन्द्र यादव, आयुक्त के0एल0 चौहान ने नगरवासियों को गणेश चतुर्दशी की शुभकामना देते हुए सबसे अनुरोध किया है कि अपने घरों में या सार्वजनिक स्थलों पर मिट्टी से बने ही गणेश प्रतिमाओं का पूजन करें। मान्यता अनुसार मिट्टी की बनी प्रतिमा सर्वदा पवित्र व पुज्यनीय मानी जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे पर्यावरण व जलवायु के लिए हानिकारक है विसर्जन के दौरान प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में घुलता नहीं है इसके कण हानिकारक होते हैं जिससे जल प्रदुषित हो जाता है जल के जीव जन्तु मरने लगते हैं। कार्यवाही के दौरान अजय शुक्ला, शरद दुबे, रामायण सिंह, के साथ तोड़फोड़ दल के सभी सदस्य उपस्थित रहे।

जन सम्पर्क अधिकारी

